संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प्र.

खण्ड--2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष --2551331
E-Mail-icpsbhopal@gmail.com Website::www.mpwe.in

क्रमांक/आई.सी.पी.एस./2014/841 भोपाल, दिनांक 05/06/14

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला संबंधित (मध्यप्रदेश)

विषयः--समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित बाल गृह, पश्चातवर्ती गृह, विशेष गृह एवं संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरी बालिकाओं का सबला योजना के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 0 से 21 वर्ष तक के बालक/बालिकाओं को संरक्षण, पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश के 46 जिलों में संरक्षण एवं पोषण के जरूरतमंद बालक--बालिकाओं के लिए बाल गृह/पश्चातवर्ती गृह/विशेष गृह/संप्रेक्षण गृह संचालित है। इन गृहों में किशोरी बालिकाऐं भी स्थाई/अस्थाई रूप से निवासरत हैं। इन बालिकाओं का स्थाई पुर्नवास योजना की मूल भावना है। विभाग का प्रयास है कि इन बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाकर इन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिलों में किशोरी बालिकाओं के कौशल उन्नयन हेतु "सबला" योजना संचालित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले में संचालित इन गृहों में निवासरत किशोरी बालिकाओं का चिन्हाकन कर उनकी रूचि/योग्यता के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें।

मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को आप सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सम्पादित करें एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र पर मुझे प्रतिमाह प्रेषित करने का कष्ट करें।

(कल्पना श्रीवास्तव),
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जवाहर बाल भवन परिसर, स्टेड स्टॉप तुलसीनगर भोपाल दूरभाष–0755–2551196
ई–icpsbhopal@gmail.com www. mpwe.in, www.adoptionmp.in

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 1286 भोपाल, दिनांक 1/9/14

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त म0प्र0

विषयः– किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्यों की बोर्ड की बैठकों में उपस्थति सुनिश्चत करवाये जाने के संबंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, की धारा 4(1) के तहत् विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों के प्रकरणों का निराकरण करने हेतु मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिलें में किशोर न्याय बोर्ड गठित है।

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक 13413 / 2013 रेखा श्रीधर विरूद्ध म0प्र0 शासन में मान. न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये है कि किशोर न्याय बोर्ड की प्रत्येक बैठको में अशासकीय सदस्य उपस्थित नही हो रहे है। इस कमी को तत्काल दूर किया जाय, ताकि किशोर न्याय बोर्ड में प्रचलित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके।

अतः किशोर न्याय बोर्ड में प्रचलित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु अशासकीय सदस्यों की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चत करें। यदि किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्य बोर्ड की बैठको से लगतार अनपुस्थित है तो उनके विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 5(3) के तहत् कार्यवाही की जावे।

(कल्पना श्रीवास्तव)
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण

पृ. क. / मबावि / 14 / ICPS / 1287 भोपाल, दिनांक 1/9/14

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग समस्त।
4. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला समस्त।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला सशक्तिकरण

genral

संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश फोन–2551196
ई–mail icpsbhopal@gmail.com, www. mpwcd.nic.in

मबावि/13/ICPS/1556 भोपाल, दिनांक 14-8-13

प्रति,

जिला महिला सश्क्तिकरण अधिकारी,
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– बालक/बालिकाओं से संबंधित संचालित गृहों में दैनिक दिनचर्या एवं मीनू के संबंध में।

––00––

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत आपके जिले में संचालित बाल गृह, आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, पश्चातवर्ती गृह, विशेष गृह एवं खुला आश्रय गृह में बच्चों की दिनचर्या एवं आहार मीनू का चार्ट पत्र के साथ संलग्न है।

तत्संबंध में उक्त दिनचर्या एवं आहार मीनू चार्ट किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं नियम 2003 के उपनियम 50, 51 अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर जिला कलेक्टर की अनुशंसा प्राप्त कर संचालित गृह के प्रवेश हाल/स्वागत कक्ष में दोनो प्रकार के चार्ट से संबंधित बोर्ड 1 सप्ताह में लगाये जाकर संचालनालय को अवगत करावे।

(कल्पना श्रीवास्तव)
आयुक्त,
महिला सशक्तिकरण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

पृ. क./मबावि/13/ICPS/1557 भोपाल, दिनांक 14-8-13

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला कलेक्टर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अधीक्षक/प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त,
महिला सशक्तिकरण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

genral

साप्ताहिक मीनू

क्र.	वार	सुबह का चाय नाश्ता	सुबह का भोजन				दोपहर का नाश्ता	शाम का दूध	शाम का भोजन				रिमार्क
			रोटी	सब्जी	चावल	दाल			रोटी	मौसमी सब्जी	चावल	दाल	
1	सोमवार	चाय–पोहा	रोटी	पत्ता गोभी	चावल	अरहर	दलिया	दूध	रोटी	आलू पालक	चावल	मूंग	
2	मंगलवार	चाय–देशी चना	रोटी	कद्दू	चावल	मसूर	साबूदाना	दूध	रोटी	लौकी	चावल	चना	
3	बुधवार	चाय–मूंग साबुत	रोटी	फूलगोभी	चावल	अरहर	मुंगफली	दूध	रोटी	मैंथी–आलू	चावल	मसुर	
4	गुरूवार	चाय–हलुवा	रोटी	बेंगन–आलू	चावल	चना	चनासिका	दूध	रोटी	आलू–टमाटर	चावल	मूंग	
5	शुक्रवार	चाय– उपमा	रोटी	भिण्डी	चावल	अरहर	मुंगफली	दूध	रोटी	फूलगोभी	चावल	चना	
6	शनिवार	चाय– सब्जी– पराठे	रोटी	गिलकी	चावल	मसूर	साबूदाना	दूध	रोटी	भिण्डी	चावल	अरहर	
7	रविवार	चाय– मिठाई (बच्चों की पसंद अनुसार) एवं समोसा या कचौरी या खमण आदि नमकीन (बच्चों की पसंद अनुसार)	बच्चों की पसंद अनुसार इडली–सांभर, दाल–बाटी, नमकीन–पराठे, पांव भाजी, पुलाव, भजिए, मौसम अनुसार ।					दूध	रोटी	पत्ता–गोभी	चावल	राजमा	

नोटः–

1. किशोर न्याय अधिनियम 2000 एवं नियम 2003 के उपनियम 51 अनुसार स्थानीय फूड हेबिटस के अनुसार जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड एवं विशेषज्ञ आदि के परामर्श से मीनू में संशोधन किया जा सकता है।
2. आयु समूह अनुसार बच्चे के केलौरी, प्रोटीन आदि पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में उपलब्ध हो इसके लिए विशेषज्ञ के परामर्श से मीनू में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सप्ताह में 3 दिवस मौसमी फल दिए जाए।
4. सब्जी-फल मौसम के अनुसार, मिक्स दाल एवं सोया बडी आदि पौष्टिक आहार , आहार विशेषज्ञ के परामर्श से मीनू में शामिल किया जाये।
5. बीमार बच्चों के लिये डॉ. की सलाह अनुसार मीनू तैयार किया जाये।
6. त्यौहारें एवं अवकाश के दिनो में विशेष आहार उपलब्ध कराया जाये।
7. आहार मीनू का बोर्ड तैयार किया जाकर प्रवेश कक्ष में लगाया